न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प जालोर
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 11/2014

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
1 समा पुत्र जगा		1 दाना पुत्र दला
2 प्रभा पुत्र जगा		2 वीराम पुत्र दला
3 देवा पुत्र काना		3 मोती पुत्र दला
4 नीमा पुत्र काना		4 सवा पुत्र दला
5 बाबु पुत्र काना जातिगण कलबी निवासीगण कोजरा तहसील पिण्डवाडा		5 शांति बेवा दला
		6 कालुराम पुत्र लीला
		7 वागाराम पुत्र लीला
		8 धोपी बेवा लीला जातिगण कलबी निवासीगण कोजरा तहसील पिण्डवाडा
		9 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पिण्डवाड़ा जिला सिरोही

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–
श्री प्रमोद कुमार दवे, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
श्री राजेन्द्र आढ़ा, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स

–: निर्णय :–

दिनांकः– 31.5.18

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत न्यायालय सहायक कलेक्टर पिण्डवाडा द्वारा राजस्व वाद संख्या 75/2011 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.06.2014 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने बहस में निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विभाजन का वाद प्रस्तुत किया, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया गया है, वह आदेश अपीलाण्ट्स की अनुपस्थिति में एकपक्षीय रूप से पारित किया है। अपीलाण्ट प्रभा बीमार रहता है तथा बीमार होने के कारण वह अपने ईलाज हेतु बाहर गया था। पटवारी हल्का द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

अपीलाण्ट्स की अनुपस्थिति में नक्शा मौका तैयार किया तथा न्यायालय में अपीलाण्ट्स की असहमति के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिक्री जारी की। प्रारम्भिक डिक्री की पालना में जो नक्शा पटवारी हल्का द्वारा तैयार किया गया, उस पर भी अपीलाण्ट सहमत नहीं थे। रेस्पोडेन्ट्स ने पटवारी हल्का से मिलावट करते हुए बंजर व खराब तथा रोड से हटकर जो भूमि थी, वो अपीलाण्ट के हिस्से में रखी गई एवं उपजाऊ तथा रोड के किनारे वाली भूमि रेस्पोडेन्ट के हिस्से में रखी गई। उक्त रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है, जिसमें विधिवत नियमों एवं प्रक्रिया का पूर्णतः दुरूपयोग किया गया है। इस कारण जैर अपील निर्णय एवं 'डिक्री पूर्णतः विधि विरूद्ध है, जिसे अपास्त किया जावे तथा पुनः सुनवाई एवं विधिवत विभाजन करने हेतु प्रकरण को प्रतिप्रेषित करावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट्स द्वारा वाद प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत कार्यवाही करते हुए अपीलाण्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया तथा बाद में प्रक्रिया अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन के आदेश पारित किए। उक्त आदेंश की पालना में जो प्रस्ताव तैयार किया गया, उसमें सभी खसरा नम्बरान् की भूमि में से समान हिस्से किए गए है एवं मूल खसरा नम्बर के बटा नम्बर लगा कर विभाजन किया गया है। इसके अतिरिक्त सभी खसरों का क्षैत्रफल भी समान रखा गया है। प्राथमिक डिक्री की पालना में जो प्रस्ताव प्राप्त हुआ, उस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई करते हुए अन्तिम डिक्री भी जारी की जा चुकी है तथा उक्त डिक्री की पालना में राजस्व रेकर्ड में पृथक पृथक खसरा नम्बर, रकबा एवं लगान का इन्द्राज भी किया जा चुका है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को समुचित सुनवाई का अवसर दिया गया है। अपीलाण्ट विभाजन नहीं होने देना चाहते है, इसके कारण यह अपील प्रस्तुत की गई है, जिसका कोई आधार नहीं है। लिहाजा अपीलाण्ट्स की अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। ग्राम कोजरा तहसील पिण्डवाड़ा के खसरा नम्बर 243, 249, 252, 254, 255, 264, 275, 276 कुल खसरा 8 जिसका कुल रकबा 13.16 बीघा की भूमि अपीलाण्ट्स एवं रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 से 8 की संयुक्त खातेदारी भूमि थी। रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त भूमि के विभाजन हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के तहत वाद प्रस्तुत किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट्स/प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादीगण/अपीलाण्ट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष किसी प्रकार का जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किया तथा पक्षकारान के अधिवक्ता द्वारा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन हेतु सहमत होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 22.05.2012 को प्राथमिक डिक्री जारी की गई। उक्त आदेश की

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

पालना में तहसीलदार पिण्डवाड़ा द्वारा अपने पत्रांक/राजस्व/14/757 दिनांक 09.04.2014 के जरिये प्रकरण में विभाजन प्रस्ताव न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया, जिस पर उभयपक्ष अभिभाषकगण द्वारा किसी प्रकार की आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित करते हुए रेस्पोडेन्ट्स/वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद को स्वीकार किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय के जरिये प्रत्येक खसरे में से पक्षकारान् का समान रूप से भूमि प्रदान की है, जिसका क्षेत्रफल भी हिस्से अनुरूप ही है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया गया है, वह निर्विवादित रूप से बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन को प्रमाणित करता है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पत्रावली में जो भी कार्यवाही हुई है, वह कार्यवाही अपीलाण्ट्स के अधिवक्ता की उपस्थिति में हुई है, इस कारण अपीलाण्ट्स के इस कथन में कोई बल नहीं है कि उन्हे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया हो। जैर अपील निर्णय की पत्रावली के अवलोक से यह प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में विधि सम्मत प्रक्रिया की पालना करते हुए जैर अपील निर्णय एवं डिक्री पारित की है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने के कारण खारिज की जाती है तथा न्यायालय सहायक कलेक्टर पिण्डवाडा द्वारा राजस्व वाद संख्या 75/2011 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.06.2014 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 31.5.18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
कैम्प सिरोही